

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

CIPA-F1.11 00

1. District: STATE VIG BUREAU PS: SVB AMBALA Year: 2014 FIR No.: 7 Date: 08-07-2014

2. Act(s):

(i) PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988

(ii)

(iii)

(iv)

Section(s):

7

13 ईजा 15 अ/214

3. Occurrence of Offence:

(a) Day: Tuesday

Date From: 08-07-2014

Date To: 08-07-2014

Time Period:

Time From:

Time To:

(b) Information received at P.S:

Date: 08-07-2014

Time: 18:40 hrs

(c) General Diary Reference:

Entry No.: 13

Time: 18:40 hrs

4. Type of Information: WRITTEN

5. Place of Occurrence:

(a) Direction and Distance from P.S: East/32.0 Km.

Beat No.:

(b) Address: NEAR VILLAGE HAROULI PS SHAHA, AMBALA

(c) In case, Outside the limit of the Police Station:

Name of P.S:

District:

6. Complainant/Informant:

(a) Name: DESH RAJ (S/O) SH KARTARA RAM

(b) Birth Year:

Nationality: INDIA

(c) Passport No.

Date of Issue:

Place of Issue:

(d) Occupation:

(e) Address: VILLAGE TANDWAL, TEH. BR ARA, DISTT AMBALA

SEEN

DIG/SVB(H) PKL

7. Details of Known/Suspect/Unknown accused with full particulars(attach separate sheet if necessary):

(i) EHC CHANDER BHAN

(R/O)EHC CHANDER BHAN S.A PS SHAHA DISTT AMBALA

(ii)

(iii)

8. Reason for delay in reporting by the complainant/informant: NO DELAY

9. Particulars of the properties stolen/involved(attach separate sheet if necessary):

Sl.No.

Property Type(Description)

Est. Value(Rs.)

Status

(i)

(ii)

(iii)

10. Total value of property stolen:

11. Inquest Report/U.D Case No., if any:

Reg. No. 2 13

Reg. No. 4

Reg. No. 6

Reg. No. 9-III

Reg. No. 9-II

Reg. No. 11 30

Reg. No. 12 14

Reg. No. 19 15

Reg. No. 21 30

Reg. No. 23 10-7-14

46-41-28 एजायत

FSI mba) 34 to cust 25-8-14

12. F.I.R Contents(attach separate sheet,if required):

नकल तहरीर जेल है सेवा मे, विजीलैस अफसर पंचकुला। विषय:- रिशवत मांगने बारे। श्री मान जी, निवेदन है कि मैं देस राज सुपुत्र श्री करतारा राम गांव तन्दवाल तहसील बराडा जिला अम्बाला का स्थाई निवासी हूँ और मैं ट्रैक्टर-ट्राली मे मिटटी अपने घरेलू कार्य के लिये पंचायती जमीन रक्बा गांव हरयोली से लेकर जा रहा था तो मुझे एक व्यक्ति जिसने अपने आपको चन्द्र भान. एस०ए० थाना शाहा का मुलाजिम बताया. जिसने मेरा ट्रैक्टर सोनालिका 745, HR-01-4866 रोक लिया और कहने लगा कि आप मुझे पैसे दोगे तो मिटटी अपने घरेलू कार्य के लिये ले जा सकते हो नहीं तो थाना मे तुम्हे और तुम्हारे ट्रैक्टर ट्राली को इम्पाउंड करवा दूंगा नहीं तो इस काम के लिये तुम मेरे को 10,000 रुपये राशि बतौर रिशवत दे दो। उस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसने मेरे से 5,000 रुपये लेने पर राजी हो गया और उसने आज मुझे 2,000 रुपये राशि बतौर रिशवत देने के लिये कहा और कहा कि तुम मुझे फोन करके बुला लेना, मैं खुद आकर ले जाऊंगा। मैं यह रिशवत की राशि एस०ए० चन्द्र भान थाना शाहा को नहीं देना चाहता। मैं यह रेड अम्बाला विजिलैस से नहीं करवाना चाहता क्योंकि यह एस०ए० उनकी जान पहचान का हो सकता है। इसलिये मैं आपके पास आया हूँ। कृपा करके इस पर कानूनी कार्यवाही की जाये। SD:-DES RAJ देस राज सुपुत्र श्री करतारा राम, वासी गांव तन्दवाल तहसील बराडा, जिला अम्बाला। कार्यावाही पुलिस:-आज मन DSP मय स्टाफ HC जगतार सिंह NO 1278 AMB HC शाम लाल NO 289 PKL सि० अशु 714/PKL सि० सुमित कुमार N. 1249 GRP के सि० रविन्द्र कुमार 289R/AMB तथा सि० राजेन्द्र सिंह 1126 HSR चालक के बा सवारी गाडी सरकारी HR03K-1894 के कार सरकार डियुटी के सम्बन्ध मे हाजिर मुख्यालय SVB PKL SECT 6 मे हु कि श्री देस राज उपरोक्त ने एक लिखित दरखास्त टाईप शुदा बाबत मांगने रिशवत राशि विरुद्ध चन्द्र भान S.A थाना साहा जिला अम्बाला के दी वा दरखास्त के साथ 500/500 रु वाले चार करंसी नम्बरी नोट कुल 2000/- रु राशि के पेश किये जिन्की सुचि नोट अलग से तैयार की जो मन DSP ने उक्त मुलाजमान की रैडिंग पार्टी तैयार की। जो मजबूत दरखास्त से सरे दस्त जुर्म 7 PC ACT 1988 का सरजद होना पाया जाने पर तहरीर हजा बादस्त सि० रविन्द्र कुमार के थाना SVB अम्बाला मे भेज कर अनुरोध है कि मुकदमा दर्ज रजि० करके प्रथम सुचना रिपोर्ट की एक प्रति बतौर स्पैशल रिपोर्ट सेवा मे ईलाका मैजिस्ट्रेट साहा अम्बाला वा अन्य प्रतियां सेवा मे अफसरान बाला को भिजवाई जावे। तथा नकल मिसल वा असल तहरीर आरिन्दा के हाथ मौका पर भिजवाई जावे जो मन DSP मय मुलाजमान के वा मुदई के बासवारी गाडी सरकारी पर खाना कार्यालय उपायुक्त महोदय अम्बाला का होता हूँ। उपायुक्त महोदय से अनुमति रेड की जाकर आगामी कार्यावाही अमल मे लाई जायेगी। SD:- RAJPAL DSP उप पुलिस अधीक्षक राज्य चोकसी ब्युरो पंचकुला दि० 8/7/14 at 4.30 PM. अज थाना-SVB अम्बाला बा हवाला रपट नम्बर 13 समय 6-40 PM पर उपरोक्त तहरीर बदस्त सि० रविन्द्र कुमार न० 289/R AMB बाबत मांगने रिशवत बर खिलाफ एस०ए० चन्द्र भान थाना साहा जिला अम्बाला मर्तवा श्री राजपाल उप पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्युरो पंचकुला से प्राप्त हुई जिस पर बा हवाला रपट न० 13 मुकदमा नम्बर 7 दिनांक 8-7--2014 धारा 7 PC ACT 1988 दर्ज रजि० किया जाकर प्रथम सुचना रिपोर्ट की प्रति बतौर स्पैशल रिपोर्ट मय असल तहरीर आरिन्दा सिपाही सेवा मे ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब अम्बाला भेज कर हिदायत दी गई की पहले स्पैशल रिपोर्ट देकर फिर नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर बर मौका अनुसंधान अधिकारी के पास जाएगा प्रथम सुचना रिपोर्ट की अन्य प्रतियां उच्च अधिकारियों की सेवा में अलग से भेजी जा रही है ।

13. Action Taken(Since the above information reveals commission of offence(s)u/s as mentioned at item No.2:

(i) Registered the case and took up the investigation

OR

(ii) Directed(Name of the I.O): DSP RAJPAL HPS
No.: 00018765Rank: DSP
to take up the investigation, OR

(iii) Refused investigation due to:

OR

(iv) Transferred to P.S(name):
on point of jurisdiction.

District:

F.I.R read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost:

R.O.A.C:

14 .

Signature / Thumb Impression
of The Complainant/Informant:

Rajender Kumar
Signature of Officer 8/7/14

Name: RAJINDER KUMAR

Rank: INS

No.: 00000088

15 . Date and Time of despatch to the court:

